लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समितियों की कार्य प्रणाली को FLEXIBLE बनाना चाहिए : लोक सभा अध्यक्ष

...

संसद और राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समितियां साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करें: श्री ओम बिरला

...

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय समितियों को टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए : श्री बिरला

...

लोक लेखा समितियों की क्षमता बढ़ाने से वे जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रभावी साधनों के रूप में और मजबूत होंगी : श्री बिरला

...

लोक सभा अध्यक्ष ने लोक लेखा समितियों के निष्पक्ष कार्यकरण की सराहना की और कहा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

...

कानून बनाने में विलंब होने पर देश का सामाजिक-आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है : उप सभापति, राज्य सभा

...

कार्यपालिका की जवाबदेही संसदीय लोकतन्त्र का आधार है : श्री अधीर रंजन चौधरी

...

नई दिल्ली; 5 दिसंबर, 2021: भारत की संसद की लोक लेखा समिति का शताब्दी समारोह, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने 4 दिसंबर, 2021 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में किया था, आज संपन्न हुआ।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला, राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश और भारत की संसद की लोक लेखा समिति के सभापति, श्री अधीर रंजन चौधरी समापन सत्र में शामिल हुए । केंद्रीय मंत्री, संसद

सदस्य, राज्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी, राज्यों की लोक लेखा समितियों के सभापति और अन्य विशिष्टजन भी समारोह के समापन सत्र में शामिल हुए।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने अपने समापन भाषण में कहा कि समय के साथ लोक लेखा समिति की प्रासंगिकता बढ़ी है और समिति से लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। इसलिए, यह लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को फ्लैक्सिब्ल बनाए। श्री बिरला ने आगे कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लाभ और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समिति को कार्यपालिका को देश के विकास के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

लोक सभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों का एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए जहां ऐसी समितियां अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें और अपनी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की निगरानी भी कर सकें। श्री बिरला ने आगे सुझाव दिया कि संसदीय समितियों को लोगों से सीधे बातचीत करनी चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि लोगों के साथ जितनी अधिक बातचीत होगी, समिति की सिफारिशें भी उतनी ही प्रभावी और सार्थक होंगी।

लोक लेखा समिति को और मजबूत करने तथा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं की लोक लेखा समितियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए, श्री बिरला ने सुझाव दिया कि लोक लेखा समितियों के सभापतियों की एक समिति होनी चाहिए और उस समिति को लोक लेखा समितियों के कामकाज पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए और इनके कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार-मंथन करना चाहिए। इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट या सुझावों पर पीठासीन अधिकारी चर्चा कर सकते हैं ताकि लोक लेखा समितियों को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनता के लिए लाभकारी बनाया जा सके। वर्तमान समय में लोक लेखा समितियों के कार्य के व्यापक दायरे के बारे में बात करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों का व्यापक उपयोग किया जाए।

लोक लेखा समितियों के निष्पक्ष कामकाज की परंपरा की सराहना करते हुए श्री बिरला ने कहा कि हम सब को सामूहिक रूप से प्रयास करने चाहिए कि इस परंपरा को न केवल बनाए रखें बल्कि इसे और मजबूत भी करें। राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। लोक लेखा समितियों के क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि लोक लेखा समितियों की क्षमता में सुधार करने से वे जवाबदेही के साधन के रूप में और मजबूत होंगी। समावेशी शासन की दिशा में संसदीय समितियों की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए, श्री बिरला ने सुझाव दिया कि उन्हें नए क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। इससे सरकारों को विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

1921 से लोक लेखा समितियों के इतिहास और भूमिका का उल्लेख करते हुए, राज्य सभा के उप सभापति, श्री हरिवंश ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट पैरा के समयबद्ध तरीके से निपटान के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने निरर्थक कानूनों की समीक्षा की प्रक्रिया में इन समितियों की भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा कि इससे हमारी कानूनी संरचना हमारे समय की बदलती जरूरतों के अनुरूप हो जाएगी । उन्होंने आगे यह टिप्पणी की कि कानून बनाने में देरी होने पर देश का सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है जिससे संसदीय समितियों, विशेष रूप से लोक लेखा समितियों पर यह अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है कि वे अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कानूनों की निरंतर जांच करें। समितियों से निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने बेहतर बुनियादी सुविधाएं और संसाधन प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे कार्यपालिका की जवाबदेही प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकें।

लोक लेखा समिति के सभापति, श्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही संसदीय लोकतंत्र का आधार है। इसलिए, सार्वजनिक व्यय पर संसद का नियंत्रण केवल देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक धनराशि के लिए मतदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यय विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए और इसके द्वारा अनुमोदित नीतियों के अंतर्निहित उद्देश्य को हासिल किया जाए । समिति के विचार-विमर्श पर संतोष व्यक्त करते हुए, श्री चौधरी ने आशा व्यक्त की कि लोक लेखा समिति आने वाले वर्षों में लोकतंत्र को सफल बनाने और लोकतांत्रिक विधानमंडलों के लिए उच्च मानक स्थापित करने के लिए और अधिक निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेगी।

इस अवसर पर, लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने 'भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (1921-2021)' संबंधी शताब्दी मोनोग्राफ जारी किया।

समापन समारोह से पहले, लोक लेखा समिति ने सत्रों के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया:

(I) लोक लेखा समिति विकास के भागीदार के रूप में: कार्यप्रणाली को मजबूत करने और सुशासन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना;

(II) लोक लेखा समिति का प्रभाव: नागरिकों के उचित प्रक्रिया के अधिकार और करदाताओं के धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना।

सत्रों का समापन करते हुए, भारत की संसद की लोक लेखा समिति के सभापति, श्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकारी खर्च पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने वाली लोक लेखा समिति अपनी निष्पक्षता, दृढ़ता और बारीकी से जांच करने के लिए सुविख्यात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शताब्दी समारोह के दौरान किया गया विचार-विमर्श देश की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में उपयोगी होगा।